

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

छीतर पिता गोपी रेगर निवारी पीपलुन्द वगैरह
बनाम

कालुराम पिता न्यालचंद कंजर निवासी सुभाषनगर वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 09 /2024

तारीख हुवम	हुवम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुवम की तामील में जारी हुये
02-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम सुभाषनगर प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681 कुल किता 06 रकबा 2.6466 हेक्टेयर व ग्राम सुभाषनगर प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2964/2789 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि स्थित है अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगद्दी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगद्दी के आदेश प्रदान किये जावें प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगद्दी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगद्दी किया जाना उचित समझता है </p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111 / 128 रा.ले.रे. एक्ट स्वीकार जाता है ग्राम सुभाषनगर प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681 कुल किता 06 रकबा 2.6466 हेक्टेयर व ग्राम सुभाषनगर प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2964/2789 कुल किता 01 रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि स्थित भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें </p> <p>आदेश आज दिनांक 02/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया </p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर (शाहपुरा)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/09/2024

दिनांक- 02/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर.

विषय— प्र.सं. 09 / 2024 अनवान छीतर पिता गोपी रेगर निवासी पीपलुन्द, मोहन पिता गोपी रेगर निवासी पीपलुन्द बनाम कालुराम पिता न्यालचंद कंजर निवासी सुभाषनगर, गोपी पिता न्यालचंद कंजर निवासी सुभाषनगर, चंद्रकला पुत्री न्यालचंद कंजर निवासी सुभाषनगर, बीरबल पिता न्यालचंद कंजर निवासी सुभाषनगर, मीरा पुत्री न्यालचंद कंजर निवासी सुभाषनगर, सुगना पिता न्यालचंद कंजर निवासी सुभाषनगर, हकीमा पत्नी न्यालचंद कंजर निवासी सुभाषनगर, चंद्रमा पत्नी मांगीलाल कंजर निवासी सुभाषनगर, रामा पिता मांगीलाल कंजर निवासी सुभाषनगर, रमेश पिता गोरूलाल पारीक निवासी पीपलुन्द, छागन लाल पिता गोरूलाल पारीक निवासी पीपलुन्द, तहसीलदार जहाजपुर की पत्थरगढ़ी की पालना करने बाबत ।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम सुभाषनगर प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681 कुल कित्ता 06 रकबा 2.6466 हेक्टेयर व ग्राम सुभाषनगर प.ह. पीपलुन्द आराजी सं. 2964/2789 कुल कित्ता 01 रकबा 0.6475 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक पीपलुन्द को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 200 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा